

आदेश की क्रम नं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<u>०९.०७.१९</u>	<p>न्यायालय, अपर समाहर्ता—सह—आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं०—४३/२०१८</p> <p>उमेश चन्द्र मुंशी —बनाम— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा—दलुडीह, थाना नं०—१८७, खाता नं०—३६, प्लॉट नं०—५१८/०३, रकवा—०.२६ डी० भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ—०२ के ६ लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू—अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि औद्योगिक तथा शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है एवं भूमि में अवस्थित संरचनाओं का उपयोग व्यवसायिक, औद्योगिक एवं आवासीय रूप में उपयोग किया जाता है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनों का बाजार दर पर पुर्नमूल्यांकन करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन करते हुए आवेदक को यदि देय हो, तो नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें, तदनुसार वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">१०८८१५</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: right;">१०८८१५</p> <p>अपर समाहर्ता, —सह— आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p> <p>१०८८१५</p> <p>अपर समाहर्ता —सह— आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>